छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 307/2007

श्री रामचरण अग्रवाल,
आत्मज स्व0 श्री भगवानदास अग्रवाल,
मुकाम पोस्ट–खरसिया
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 02 जून 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13–01–2006 को प्रबंधक, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम जिला–रायगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। निर्धारित अवधि में जानकारी न मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 27–11–2006 को जिला कार्यालय में प्रथम अपील की गई, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी का मुख्यालय रायपुर में होने के कारण बाद में उनके समक्ष दिनांक 01–12–2006 को अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 22–10–2007 को प्रथम अपील में आदेश पारित कर पूर्ण जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये। किन्तु उसके बाद भी अपूर्ण जानकारी दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रतिअपीलार्थी द्वारा आयोग को दिये गये उत्तर में यह बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के पालन में दिनांक 25–01–2007 को जानकारी समयावधि में उपलब्ध करा दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम अपील के अधिकार के नियम बताने पर भी 50/– रुपये दबाव डालकर जमा किये और अपील आवेदन जबरदस्ती दिया गया। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी निगम का परिवहनकर्ता है और अपने निहितार्थों की पूर्ति के लिये अनावश्यक दबाव डालता है। अपीलार्थी द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि रिस्क एण्ड कास्ट की जानकारी उनके द्वारा अधूरी दी गई है और समयावधि में जानकारी नहीं देने के कारण दण्ड किया जाये। इस संबंध में पत्र के साथ जो पत्रक लगाया गया था, उसमें केवल रिस्क एण्ड कास्ट की एक प्रविष्टि बताई गई है, जबकि 10 वर्षों की जानकारी मांगी गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि समयावधि में पूर्ण जानकारी न दी गई हो। अतः इस संबंध में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध रिकार्ड पूरी तरह जाँच लें कि जानकारी सही एवं पूर्ण दी गई है अथवा नहीं और यदि यह पाया जाता है कि त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी जानकारी दी गई है तो उनके द्वारा जिला

प्रबंधक, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम जिला–रायगढ़ के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये तथा साथ ही साथ पूर्ण जानकारी भी अपीलार्थी को 20 दिन के अन्दर निःशुल्क प्रदान कराई जावे। चूँकि दिनांक 13–09–2006 के आवेदन के बाद जानकारी अत्यधिक विलम्ब से दी गई है, अतः जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम जिला–रायगढ़ को रुपये 5,000/– (रुपये पाँच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना–पत्र भी अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिये निगम द्वारा अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत 400/– रुपये (चार सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त